न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 18/2013 अन्तर्गत धारा 75–76 एल0 आर0 एक्ट0

उनवान :– 1. योगेश आत्रेय पुत्र श्री अनुभवानन्द शास्त्री जाति रविदास चमार निवासी 103, खेडा खुर्द दिल्ली–82 हाल निवासी सीआईएसएफ कैम्प के पीछे, ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

——— अपीलांट

वनाम्

1. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये चैयरमैन उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर
2. श्रीमति भगवतीदेवी स्त्री रामनारायण जाति चमार
3. धर्मपाल पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
4. भूपसिंह पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
5. मुकेश पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
6. रामसिंह पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार निवासीयान ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

———रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी बहरोड दिनांक 27.09.1975

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री अमर चन्द चौधरी (राजकीय अभिभाषक)

3. वकील रेस्पो0 सं0 2 ला0 6 :– श्री अजीत यादव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक– 02.08.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय भू आवंटन सलाहकार समिति वहरोड के आदेश दिनांक 27.09.1975 के खिलाफ है, जिसके द्वारा रेस्पो0 सं0 2 के पति एवं रेस्पो0 सं0 3 ला0 6 के पिता रामनारायण को आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम गुगडिया तहसील वहरोड का आंवटन किया गया था। उक्त आंवटन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 96 सी0पी0सी0 मय धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है।

2. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश की हम को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। आवंटन से पूर्व हम को सुनवाई हेतु तलव नहीं किया। जव रेस्पो0 ने दिनांक 26.04.2011 को आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहा तो जानकारी हुई। परन्तु कानून की हमको जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक 16.04.2013 को वकील से सम्पर्क किया और कानूनी सलाह ली। इसके बाद अपील पेश कर दी। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे। उन्होंने धारा 96 सी0 पी0 सी के प्रा0 पत्र पर तर्क दिये कि विवादित भूमि हमारी खातेदारी के मध्य में स्थित है। उक्त विवादित भूमि पर हमारा कब्जा है। इसलिये हम हितबद्ध पक्षकार है। अतः निवेदन है कि धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रा0 पत्र स्वीकार कर हमको अपील पेश करने की इजाजत दी जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने मेरिट्स पर तर्क दिये कि आंवटन आदेश नियम विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त भूमि पर कभी भी आंवटी रामनारायण अथवा उसके वारिसान का कब्जा नहीं रहा। कब्जा हमारा ही चला आ रहा हैं। यह भूमि हमारी खातेदारी की भूमि के मध्य स्थित है। आंवटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। रामनारायण के नाम आवंटन के आधार पर हाल ख0 नं0 5 रकबा 2.09 हेक्टेयर वाके ग्राम गूगडिया का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है। तथा उक्त हाल ख0 नं0 628/2 था। इस प्रकार हाल ख0 नं0 एंव उससे पूर्व के ख0 नं0 के मिलान से जो आंवटन रामनारायण को किया गया है, वह मेल नहीं खाता है। आंवटन नियमों की पालना नहीं की गई है। विवादित भूमि पर हमारा कब्जा है। आंवटन में हमको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आंवटन आदेश नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2018(2) WLC(राज0) UC 571, 2005 RRD 22 प्रस्तुत की।

3. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 01 (राजकीय अभिभाषक) का कथन है कि आवंटन आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है। आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रियाऐं अपनाकर रामनारायण को आंवटन किया गया है। अपीलांट का भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 2 ला0 6 का कथन है कि आराजी का आंवटन करने से पूर्व मजमेआम में घोषणा की जाती है। ग्राम में कैम्प लगाये जाते है। इस प्रकार ग्रामवासियों को आंवटन कमेटी की सूचना मिल जाती है। अपीलांट का यह कहना गलत है कि उनको जानकारी नहीं थी। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब संतोषजनक कारण हो। इन्होंने संतोषजनक कारण नहीं बताये हैं। इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि इनका विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। इनका कब्जा नहीं है। ये हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अत इनका धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रा0 पत्र खारिज किया जावे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि हमने आवटन हेतु प्रा0 पत्र दिया। उस पर पटवारी हल्का ने हमारे पक्ष में रिपोर्ट की थी। भूमि पर हमारा कब्जा है। किसी भी ग्रामवासी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की। सर्वसमिति से हमको आंवटन किया गया था। हम भूमिहीन है तथा लोकल टिनेंट है। अपील सारहीन है। इसलिये अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम हमने धारा 96 सी0 पी0 सी0 प्रा0 पत्र पर गौर किया। वकील अपीलांट ने बताया है कि विवादित भूमि उसकी खातेदारी की भूमि के मध्य स्थित है और उस पर कब्जा भी अपीलांट का ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रथम दृष्टतया हितबद्ध पक्षकार है। इसलिये धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात मियाद बिन्दू पर गौर किया। चूंकि अपीलांट को आंवटन कमेटी ने सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकों नजीरों में मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने के निर्देश प्रदान किये है। इतना ही नहीं, माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकों नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया है कि गुणावगुण को देखते हुए मियाद को कन्डोन कर दिया जावे। चूंकि अपीलांट ने भूमि पर अपना कब्जा बताया है। इसलिये देरी को नरम रूख अपनाकर माफ किया जाता है।

6. इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण बिन्दू पर गौर किया। साथ ही वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई नजीरों का अध्ययन किया। साथ ही आवंटन नियम, 1970 के नियमों का भी अध्ययन किया। अपील पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। आवंटन आदेश दिनांक 27.09.1975 में आ0 ख0 नं0 01 रकबा 10 बीघा का आवंटन रामनारायण को किया गया है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 के अनुसार साबिक ख0 नं0 628/2 रकबा 10 बीघा से हाल नं0 5 रकवा 2.09 हेक्टेयर बनना पाया जाता है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में ख0 नं0 7, 10, 6, 8, 9 पर अपीलांट योगेश खातेदार दर्ज है। तथा ख0 नं0 3 एवं 4 पर अपीलांट योगेश की पत्नि सुनीता खातेदार दर्ज है। हाल ख0 नं0 5 पर हाल जमाबंदियों में रामनारायण खातेदार दर्ज है।

7. तहत पत्रावली में संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया। आवंटन आदेश द्वारा आ0 ख0 नं0 01 रकवा 10 वीघा का आवंटन रामनारायण को किया गया है। दखलनामा अनुसार ख0 नं0 01 (631/1) रकवा 10 वीघा पर आवंटी रामनारायण को दखल दिया गया है।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8. उपरोक्त सभी दस्तावेजों पर मनन किया। आवंटी रामनारायण को साविक आराजी खसरा नं0 01 का आवंटन किया गया है। इस ख0 नं0 01 का नया नम्बर क्या बना है, ये वकील रेस्पो0 ने मिलान क्षेत्रफल पेश कर स्पष्ट नही किया है। हाल जमाबंदियो में ख0 नं0 हाल 05 पर रामनारायण को खातेदार दर्ज किया हुआ है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 के अनुसार हाल नं0 05 साविक नम्बर 628/2 से बनना पाया जाता है। स्पष्ट है कि आंवटित ख0 नं0 01 से हाल नम्बर 05 नहीं बना है। इस प्रकार आवंटी ख0 नं0 रेकार्ड में दर्ज आंवटी खातेदारी नम्बर से मेल नहीं खाता है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह तो बताया है कि आवंटी रामनारायण के पास कुल 1–14 बीघा भूमि है। परन्तु उसने यह नहीं बताया कि उसके खाते में कौन कौन से खसरा नम्बर है। पटवारी को रामनारायण के खाते की सम्पूर्ण भूमि का विवरण देना चाहिये था। इसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि आंवटी भूमिहीन है। अदालत हाजा की पत्रावली में सलंग्न खसरा गिरदावरी सम्वत 2045–48, 2049–52, 2053–56, 2061–64 में आंवटी रामनारायण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है, परन्तु इन खसरा गिरदावरियों के कॉलम नम्बर 16 में सम्पूर्ण रकबा 2–09 हेक्टेयर को पड़त दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आंवटन के बाद काश्त नहीं की गई है। भूमि पड़त रही है। इसके अभाव में आवंटन की शर्ते अपूर्ण है। ना ही रेस्पो0 के पिता रामनारायण ने काश्त की शर्ते पूरी कर खातेदारी प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश नजीर 2018(2) WLC(राज0) पेज 571 यहां पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त विद्वान वकील अपीलांट ने 2005 RRD पेज 22 प्रस्तुत की है। इस नजीर के पैरा नम्बर 06 में आवंटन नियमों के नियम 14(3) की व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी आवंटन के बाद भूमि पर प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग पर तथा द्वितीय वर्ष में शेष भाग पर काश्त करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 1975 में भूमि रामनारायण को अलोट हुई थी, उस समय के काश्त की साक्ष्य रेस्पो0 ने पेश नहीं की है और जो खसरा गिरदावरियां पेश की है, उनमें भूमि को पड़त दर्ज किया हुआ है। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमियों के मध्य स्थित है, जिस पर अपीलांट ने अपना कब्जा बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आंवटी रामनारायण ने आवंटन की शर्ते पूरी नहीं की है। आवंटन की शर्ते पूरी नहीं करने के कारण उसे खातेदारी प्रदत्त नहीं की जा सकती तथा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आवंटन आदेश दिनांक 27.09.1975 निरस्त किया जाता है तथा हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 2.09 हेक्टेयर वाके ग्राम गुगडिया तहसील बहरोड पर आवंटी रामनारायण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 18/2013 अन्तर्गत धारा 75–76 एल0 आर0 एक्ट0

उनवान :– 1. योगेश आत्रेय पुत्र श्री अनुभवानन्द शास्त्री जाति रविदास चमार निवासी 103, खेडा खुर्द दिल्ली–82 हाल निवासी सीआईएसएफ कैम्प के पीछे, ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

––– अपीलांट

बनाम्

1. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये चैयरमैन उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर
2. श्रीमति भगवतीदेवी स्त्री रामनारायण जाति चमार
3. धर्मपाल पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
4. भूपसिंह पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
5. मुकेश पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार
6. रामसिंह पुत्र श्री रामनारायण जाति चमार निवासीयान ग्राम गूगडिया तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

–––रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी बहरोड दिनांक 27.09.1975

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री अमर चन्द चौधरी (राजकीय अभिभाषक)

3. वकील रेस्पो0 सं0 2 ला0 6 :– श्री अजीत यादव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक–02.08.2021

संशोधन दिनांक – 16.08.2021

वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत होने पर पत्रावली तलब की। प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी अपीलांट ने निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील के निर्णय दिनांक 02.08.2021 के पैरा नम्बर 09 में '' रामनारायण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन करने'' के आदेश दिये है। जबकि वर्तमान में रामनारायण के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर '' आंवटी रामनारायण के वारिसान के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन करने'' के आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र पर गौर किया तथा पत्रावली में संलग्न वर्तमान राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वकील प्रार्थी अपीलांट का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि इस अपील में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 के पैरा नम्बर 09 में '' आवंटी रामनारायण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन'' के स्थान पर '' आवंटी रामनारायण के वारिसान के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन'' पढ़ा जावे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

16/8/2021

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर